भारत सरकार/ Government of India
वित्त मत्रांलय/ Ministry of Finance
राजस्व विभाग/ Department of Revenue
केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय,बेंगलूरु अंचल,
पी.बी.सं.5400, केंद्रीय राजस्व भवन,क्वीन्स रोड, बेंगलूरु–560001
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, BENGALURU ZONE, P.B.NO.5400, C.R. BUILDING, QUEEN'S ROAD, BENGALURU–560001.

दिनांक: यथा अनुमोदित

सेवा में/To,
प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त केन्द्रीय कर/
The Principal Chief Commissioner/Principal Commissioner, Central Tax,
आयुक्त, केंद्रीय कर / Commissioner, Central Tax, बेंगलूरु पूर्व / बेंगलूरु पश्चिम / Bengaluru East / Bengaluru West/, बेंगलूरु दक्षिण/ बेंगलूरु उत्तर / Bengaluru South/Bengaluru North/ बेंगलूर उत्तर पश्चिम / Bengaluru North West मैसूरु / Mysuru, मेंगलूरु / बेलगावी / बेंगलूरु लेखपरीक्षा - I / Mangalore/Belagavi / Bengaluru Audit-I /¸बेंगलूरु लेखापरीक्षा - II / मैसूरु खापरीक्षा / Bengaluru Audit-II / Mysuru Audit /, बेलगावी लेखापरीक्षा / बेंगलूरु अपील्स - I / Belagavi Audit/Bengaluru Appeals-I /, बेंगलूरु अपील्स II / मैसूरु अपील्स / Bengaluru Appeals- II / Mysuru Appeals /, बेलगावी अपील्स / Belagavi Appeals.
अपर आयुक्त / उप/सहायक आयुक्त / मुख्य लेखा अधिकारी/The Addl.Commr. / Dy./Assistant Commr. / Chief Accounts Officer, प्र मु. आ. का का.(PCCO), बेंगलूरु अंचल/Bengaluru Zone.

महोदय / Sir /महोदया / Madam,

विषय : अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के विषय में निदेश के बारे में।
Subject: Regarding instructions in respect of letters received in English.

****

कृपया वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से प्राप्त पत्र संख्या ए 32012/04/2023-एडी 3 क दिनांक 24.01.2025 का संदर्भ प्राप्त करें (अनुवाद सहित संलग्न) एवं इसका पूर्ण अनुपालन करने का प्रयास सुनिश्चित करें। इस संबंध में निदेशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं उपरोक्त पत्र का सार निम्न सूचित है।

Please refer to letter No. A32012/04/2023-AD3A dated 24.01.2025 (enclosed with translation) received from Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs and efforts may be made to comply with the same fully. The directions in this regard may be ensured for strict compliance and the extracts of the above letter as below.

2. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आयोजित निरीक्षणों के संदर्भ में, निरीक्षण के लिए तैयार की गयी नई प्रश्नावली में अब निरीक्षणाधीन कार्यालय से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के विवरण की मांग की जाते हुए, उन कार्यालयों (पता सहित) के विवरण की भी मांग की जा रही है, जिनसे उक्त पत्र अंग्रेजी में प्राप्त हो रहे हैं। बोर्ड के अधीनस्थ कुछ कार्यालय के राजभाषा निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया है, कि अँग्रेजी के कुछ पत्र बोर्ड के अधीन ही किसी अन्य कार्यालय से प्राप्त हो रहे हैं।

In the context of the Inspections conducted by the Parliamentary Committee on Official Language, the new Questionnaire prepared for Inspection now seeks for the details of the letters received in English from the Office under Inspection and also the details of the Offices (including the address) from which the said letters are being received in English. During the Official Language Inspection of some Offices subordinate to the Board, it has been noticed that some letters in English are being received from another Office under the Board.

3. इस लिए बोर्ड के अंतर्गत आनेवाले सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त एवं महानिदेशक के कार्यालयों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यालयों को निदेश जारी करें कि वह हिंदी में पत्र जारी करने के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें |साथ ही, तिमाही रिपोर्ट का संकलन करते वक्त, नियम के उल्लंघन में अगर केवल अंग्रेजी में पत्र जारी हो रहें हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Therefore, all the Offices of Principal Chief Commissioners, Chief Commissioners and Director Generals under the Board are requested to issue instructions to all the Offices under their Jurisdiction to ensure compliance of the letters to be issued in Hindi. Also, while compiling the quarterly report, if in violation of the said Rules the same is being issued in English only necessary corrective action may be taken to ensure compliance.

4. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

The letter is being issued with the approval of the Competent Authority.

.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by
SHREYAS KUSHAVARA MALLESH
Date: 19-02-2025 18:57:34

(श्रेयस. के. एम / Shreyas K.M.)

संयुक्त आयुक्त (प्र. मु. आ. का का.)

Joint Commissioner (PCCO)

संलग्नक: बोर्ड पत्र दिनांक 24.01.2025 अंग्रेजी संस्करण के साथ

Encl: Board Letter dated 24.01.2025 Along with English version

फा संख्या ए 32012 / 04 / 2023 - ए डी 3 क
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक : 24.01.2025

सेवा में ,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त,
सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालय

सभी संयुक्त सचिव / आयुक्त,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कार्यालय के अधीन,

विषय : अँग्रेजी में प्राप्त पत्रों के विषय में निदेश - के बारे में ।

महोदय / महोदया,

कृपया गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम (प्रति संलग्न 2024 - 25) का संदर्भ प्राप्त करें एवं इसका पूर्ण अनुपालन करने का प्रत्येक संभव प्रयास करें। इसी संदर्भ में, सचिव (राजभाषा) द्वारा फा संख्या 12019 / 1 / 2011 - रा भा, दिनांक 24.02.2012 द्वारा जारी नीति निदेश भी सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न हैं । उक्त के संबंध में, "क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों को निदेश दिये जाते हैं कि केवल हिन्दी अथवा विशेष परिस्थितियों में, द्विभाषी पत्राचार का ही प्रयोग करें ।

2 . संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आयोजित निरीक्षणों के संदर्भ में, निरीक्षण के लिए तैयार की गयी नई प्रश्नावली में अब ,निरीक्षणाधीन कार्यालय से अँग्रेजी में प्राप्त पत्रों के विवरण की मांग की जाते हुए, उन कार्यालयों (पता सहित) के विवरण की भी मांग की जा रही है, जिनसे उक्त पत्र अँग्रेजी में प्राप्त हो रहे हैं । (संदर्भित प्रश्न IX एवं अनुलग्नक 5 - प्रति संलग्न)| बोर्ड के अधीनस्थ कुछ कार्यालय के राजभाषा निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया है, कि अँग्रेजी के कुछ पत्र बोर्ड के अधीन ही किसी अन्य कार्यालय से प्राप्त हो रहे हैं ।

3. इस लिए बोर्ड के अंतर्गत आनेवाले सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त एवं महानिदेशक से अनुरोध किया जाता है की वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सारे कार्यालय को निर्देश जारी करें की वे हिंदी में पत्र जारी करने के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें | साथ ही , तिमाही रिपोर्ट का संकलन करते वक्त, अगर नियम के उल्लंघन में अगर केवल अंग्रेजी में पत्र जारी हो रहें हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

4. इस विषय में, महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (नि. प्र. म.) से भी अनुरोध है कि निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा आयोजित राजभाषा के सभी निरीक्षण के दौरान इस मद को भी शामिल किया जाए| साथ ही हिंदी प्रश्नावली भरते वक्त जिन कार्यालयों से अंग्रेजी पत्र प्राप्त हो रहे है (अनुलग्नक 5), उन विवरण का इस्तेमाल करके, उन कार्यालयों के साथ पत्राचार करके , सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का भी अनुरोध नि. प्र. म से किया जाता है ।

5. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

Signed by Ravish Kumar
Date: 24-01-2025 14:50:06

(रविश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

F. No. A 32012/04/2023-AD 3 A
Indian Government
Finance Ministry
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs

New Delhi, Dated: 24.01.2025

To,
All Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioner,
All Principal Director Generals/ Principals Director General,
Subordinate Offices of Central Board of Indirect Taxes and Customs

All Joint Secretaries/ Commissioners,
Under the office of the Central Board of Indirect Taxes and Customs,

Subject: Regarding instructions in respect of letters received in English.

Sir/ Madam,

Please refer to the Annual Programme (copy 2024-25 attached) issued every year by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and all possible efforts may be made to comply with the same in total. In this context, the Policy Directions issued vide F.No.12019/1/2011 OL dated 24.02.2012 by Secretary (OL) is also enclosed for information and necessary action. In connection to the above, all Offices located in Region "A" are directed to use Hindi only or, in special circumstances correspondence in bilingual.

2. In the context of the Inspections conducted by the Parliamentary Committee on Official Language, the new Questionnaire prepared for Inspection now seeks for details of the letters received in English from the Office under Inspection and the details of the Offices (including the address) from which the said letters are being received in English. (Referenced questions IX and Annexure 5 are enclosed.) During the Official Language Inspection of some Offices subordinate to the Board, it has been noticed that some letters in English are being received from other Offices under the Board.

3. Therefore, all the Principal Chief Commissioners, Chief Commissioners and Director Generals under the Board are requested to issue instructions to all the Offices under their Jurisdiction that the directions to issue in Hindi may be ensured to be complied with. Also, while compiling the quarterly report, if in violation of the said Rules and letters are issued in English only, necessary corrective action may be taken to ensure compliance.

4. In this regard, the Director General, Directorate General of Performance Management (DGPM) is also requested to include this point during all the Inspections of Official Language conducted by the Directorate General of Performance

Management. While filling up the Hindi Questionnaire, it is also requested by the O/o DGPM, that the details of the Offices from which English letters are being received (Annexure 5) may be used and correspondence may be made to them to take corrective action and ensure compliance.

5. The letter is being issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Ravish Kumar)
Under Secretary, Government of India